

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरांही)

बइजलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी

पोलाराम पुत्र बस्तीराम जाति चौधरी
निवासी सर तह0 लुणी जिला
जोधपुर

प्रतिवादीगण

1. ईश्वरसिंह पुत्र वचनसिंह जाति राजपूत
निवासी भेव तह0 शिवगंज
2. अचलसिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत के कायम मुकाम
2/1- कंकर कुंवर पत्नी अचलसिंह राजपूत
नि0 भेव तह0 शिवगंज
3. ओमाराम पुत्र बस्तीरामजी चौधरी
निवासी सर तह0 लुणी
4. तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज।

विद्वान अधिवक्ता
श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल

विद्वान अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 01/2020

—:निर्णय:—

दिनांक 21.05.2024

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 189 दिनांक 12.03.2022 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2023/06 दिनांक 13.02.2023 से वादग्रस्त भूमि मौजा भेव तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 371/1 रकबा 46-18 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी व उनके अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमे कोई आपत्ति नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दराभद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

क्रमांक/कोर्ट/2024/310
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

(शकुंतला)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरांही)
दिनांक 21.05.2024

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरांही)